सं.3105/22/2015-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
*****

9 जनवरी 2023

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता के पालन के लिए प्राइवेट चैनलों को एडवाइजरी।

इस मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के तहत विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों को बार-बार एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने पाया है कि पिछले कुछ महीनों में मुख्यधारा के चैनलों सहित कई टेलीविजन चैनलों ने दुर्घटनाओं, मृत्यु और हिंसा की घटनाओं की ऐसी रिपोर्टिंग की जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा भी शामिल है, जो "शोभनीयता और *शालीनता*" से गंभीर रूप से समझौता करती है, और एक आम दर्शक के देखने-सुनने के लिए काफी अप्रिय थी। टेलीविज़न, एक ऐसा मंच है जिसे आम तौर पर घरों में सभी आयु वर्गों के लोगों यथा प्रौढ़, वृद्ध, बच्चों, आदि, द्वारा देखा जाता है और जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अंत: यह प्रसारकों पर जिम्मेदारी और अनुशासन की विशिष्ट भावना निर्धारित करता है, जो उक्त अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में निहित हैं।

2. हालाँकि, इन संहिताओं में निहित भावना के बावजूद, टेलीविजन चैनलों ने व्यक्तियों के मृत शरीर और आसपास बिखरे खून के साथ घायल व्यक्तियों की तस्वीरें/वीडियो दिखाए हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों को बेरहमी से पीटने को दिखाया जा रहा है, लगातार रोने-चीखने और चीखें सुनाई दे रही हैं, एक शिक्षक द्वारा एक बच्चे को पीटे जाने की घटना को कई मिनटों तक बार-बार दिखाया गया, जिसमें छवियों को धुंधला करने या उन्हें लंबे शॉट्स से दिखाने की सावधानी बरते बिना, इन पर सर्किल बना कर दिखाते हुए इसे और भी भयानक बना दिया गया। ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने का तरीका अरुचिकर, दिल दहलाने वाला, व्यथित करने वाला, अपमानजनक, सनसनीखेज है, जो शोभनीयता और शालीनता को ठेस पहुंचती है। ऐसी रिपोर्टिंग का बच्चों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। इसमें निजता के हनन का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो संभावित रूप से छवि खराब करने वाला और बदनाम करने वाला हो

सकता है। इनमें से अधिकांश मामलों में यह भी देखा गया कि प्रसारकों द्वारा ये वीडियो क्लिप आदि सोशल मीडिया से लिए गए हैं और ऐसी क्लिपों को संशोधित या ट्यून करने या संपादित करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं जिससे कि इन्हें कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुरूप और सुसंगत बनाया जा सके। ऐसी घटनाओं का उदाहरण देने वाली एक सूची अनुलग्नक में दी गई है।

3. टेलीविजन चैनलों द्वारा इस तरह का प्रसारण गंभीर चिंता का विषय है और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों सहित टेलीविजन चैनलों के दर्शकों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सभी प्राइवेट टेलीविजन चैनलों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे इस पर ध्यान देते हुए कार्यक्रम संहिता, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, के अनुरूप मृत्यु सहित अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रणालियों और कार्यपद्धतियों का ध्यान रखें: -

"(i) शोभनीयता या शालीनता **के विरुद्ध** *है*

(ii) जिसमें *कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठी* और *विचारोत्तेजक बातें और अर्ध-सत्य शामिल है।*

(iii) व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या *देश के कुछ समूहों,* सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के *क्षेत्रों की आलोचना,* बदनामी या निंदा *करता है।*

(iv) अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है"

इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता-/-

(प्रतीक जैन)
सहायक निदेशक
दूरभाष:23073316
ईमेल: prateekjain.89@gov.in

प्रतिलिपि:-

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के **सभी स्व-विनियामक निकाय**; **टीवी समाचार** चैनलों के **अन्य** संघ।

नोट: **एडवाइजरी** की **प्रति** इस **मंत्रालय की** वेबसाइट **www.mib.gov.in** और इस **मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

<u>अनुलग्नक</u>

टीवी समाचार रिपोर्ट के प्रसारण के दौरान उल्लंघन के कुछ उदाहरण :
समाचार रिपोर्ट का प्रसारण:

1. 30.12.2022 को दुर्घटना में घायल एक क्रिकेटर की व्यथित करने वाली तस्वीरें और वीडियो बिना धुंधला किए हुए दिखाए गए।
2. 28.08.2022 को एक व्यक्ति द्वारा पीड़ित के शव को घसीटने का परेशान करने वाला फुटेज दिखाया गया और साथ ही पीड़ित के चेहरे पर चारों ओर खून बिखरा हुआ दिखायी गयी।
3. 06-07-2022 को एक दुखद घटना के बारे में जिसमें बिहार के पटना में एक शिक्षक को एक कोचिंग कक्षा में 5 वर्षीय लड़के को तब तक बेरहमी से पीटते देखा जा सकता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। क्लिप को म्यूट किए बिना चलाया गया जिसमें दया की भीख मांग रहे बच्चे की दर्दनाक चीखें सुनी जा सकती हैं और इसे 09 मिनट से अधिक समय दिखाया गया।
4. 04-06-2022 को एक पंजाबी गायक के शव की दुखद रक्तरंजित तस्वीरें बिना धुंधला किए दिखाई गई।
5. 25.05.2022 को असम के चिरांग जिले के एक व्यक्ति द्वारा दो नाबालिग लड़कों को बेरहमी से डंडे से पीटने की परेशान करने वाली घटना दिखाई गई। वीडियो में शख्स को लड़कों को बेरहमी से लाठियों से पीटते हुए देखा जा सकता है. क्लिप को बिना धुंधला या म्यूट किए चलाया गया जिसमें लड़कों की दर्दनाक चीखें साफ सुनाई दे रही हैं।
6. 16-05-2022 को कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक महिला वकील पर उसके पड़ोसी द्वारा बेरहमी से हमला किया गया, बिना संपादन के लगातार दिखाई जा रहा है।
7. 04.05.2022 को तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के राजपालयम में एक व्यक्ति को अपनी ही बहन की हत्या करते हुए दिखाया गया।
8. 01.05.2022 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति को पांच लोगों द्वारा पेड़ से उल्टा लटकाकर लाठियों से बेरहमी से पिटाई करने की घटना दिखाई गई।
9. 12-04-2022 को एक दुर्घटना के बारे में जिसमें पांच शवों के विक्षुब्ध दृश्य लगातार बिना धुंधला किए दिखाए जा रहे थे।
10. 11-04-2022 को एक घटना के बारे में जिसमें केरल के कोल्लम में एक व्यक्ति को अपनी 84 वर्षीय मां पर बेरहमी से हमला करते हुए, अपनी मां को आंगन में घसीटते हुए लगातार बेरहमी से पीटते हुए और लगभग 12 मिनट तक बिना धुंधला दिखाया जाता रहा।
11. बेंगलुरु में एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा अपने बेटे को आग लगाने के बेहद परेशान करने वाले वीडियो 07.04.2022 की है। बूढ़े व्यक्ति द्वारा माचिस की तीली जलाकर अपने बेटे पर फेंकने के कारण वह आग की लपटों में घिर गया, इसका असंपादित फुटेज बार-बार प्रसारित किया गया।

12. 23.03.2022 की वह घटना जिसमें असम के मोरीगांव जिले में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के की पिटाई का वीडियो है, जिसे बिना धुंधला या म्यूट किए बिना प्रसारित किया गया था जिसमें लड़के को बेरहमी से पीटे जाने के दौरान रोते और गिड़गिड़ाते हुए सुना जा सकता है।